न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 122/2019

1 कैलाशचन्द पुत्र प्रहलाद आयु 55 साल
2 ग्यारसीलाल पुत्र प्रहलाद आयु 52 साल
3 प्रभाती पत्नी प्रहलाद आयु 80 साल
4 हरचन्द पुत्र भूरा आयु 70 साल
5 गोकुल पुत्र मांगु आयु 75 साल
6 घीसा पुत्र हरनाथ आयु 72 साल
7 सोहन पुत्र हरनाथ आयु 70 साल
8 बंशी पुत्र हरनाथ आयु 68 साल
9 चावली पुत्री हरनाथ आयु 66 साल
10 श्योपाली पत्नी रूघनाथ आयु 85 साल मृतक
11 सुण्डाराम पुत्र रूघनाथ आयु 65 साल
12 खुबाराम पुत्र रूघनाथ आयु 60 साल
13 जयमल पुत्र रूघनाथ आयु 55 साल
14 मनोहर पुत्र रूघनाथ आयु 45 साल
15 मनीराम पुत्र रूघनाथ आयु 42 साल
16 किस्तुरी पत्नी सेवाराम आयु 85 साल
17 सरदारा पुत्र सेवाराम आयु 56 साल
18 रामनिवास पुत्र सेवाराम आयु 46 साल
19 अर्जुनराम पुत्र सेवाराम आयु 42 साल
20 ओमप्रकाश पुत्र सेवाराम आयु 40 साल
21 लीलादेवी पत्नी सांवलराम आयु 60 साल
22 अरविन्द कुमार पुत्र सांवलराम आयु 18 साल
23 अजय कुमार पुत्र सांवलराम आयु 15 साल नाबालिग जरिये माता लीला देवी
24 नानची पुत्री सांवलराम आयु 20 साल
25 कविता पुत्री सांवलराम आयु 19 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कालुराम पुत्र करणाराम आयु 70 साल
2 शिवपाल पुत्र करणाराम आयु 68 साल
3 रामेश्वर पुत्र करणाराम आयु 65 साल
4 फुली पत्नी उगनाराम आयु 80 साल
5 मदनलाल पुत्र उगनाराम आयु 60 साल
6 जयराम पुत्र उगनाराम आयु 52 साल
जति माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
7 रामलाल पुत्र भगवाना आयु 65 साल मृतक
7/1 ज्यानकी देवी पत्नी रामलाल उम्र 80 साल
7/2 नन्दलाल सैनी पुत्र रामलाल उम्र 60 साल
7/3 महावीर प्रसाद सैनी पुत्र रामलाल उम्र 50 साल
7/4 बोदूराम सैनी पुत्र रामलाल उम्र 48 साल
7/5 रमेशचन्द सेनी पुत्र रामलाल उम्र 40 साल
7/6 सरेशचन्द सैनी पुत्र रामलाल उम्र 36 साल
7/7 किशोरीलाल सैनी पुत्र रामलाल उम्र 37 साल
7/8 कमलेश कुमार सैनी पुत्र रामलाल उम्र 35 साल
जातिगण माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
7/9 सन्तरा पुत्री रामलाल पत्नी मंगलचन्द सैनी उम्र 63 साल निवासी हाल ढाणी बेरावाली तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

7/10 मिश्री देवी पुत्री रामलाल पत्नी सीताराम उम्र 46 साल निवासी हाल आबाद ढाणी आरा मशीन वाली तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

8 श्रीराम पुत्र देवाराम आयु 65 साल

9 रामचन्द्र पुत्र देवाराम आयु 60 साल

10 नोरंगलाल पुत्र देवाराम आयु 52 साल

11 शीशराम पुत्र देवाराम आयु 45 साल मृतक

11/1 सरोज देवी पत्नी शीशराम उम्र 50 साल

11/2 अनिल कुमार पुत्र स्व. शीशराम उम्र 25 साल

11/3 अरविन्द कुमार पुत्र स्व. शीशराम उम्र 23 साल

12 फूली देवी पत्नी शैतान सिंह आयु 60 साल

13 रामकुवार पुत्र शैतान सिंह आयु 38 साल

14 सीताराम पुत्र शैतान सिंह आयु 25 साल

जाति माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

15 सजना पुत्री शैतान सिंह पत्नी गोपीराम निवासी हाल मोहल्ला सलामपुर नारनौल हरियाणा।

16 सुमन पुत्री शैतान सिंह पत्नी संजय निवासी हाल मोहल्ला सलामपुर नारनौल हरियाणा।

17 धोली पुत्र शैतान सिंह पत्नी सुशील कुमार निवासी हाल मोहल्ला सलामपुर नारनौल हरियाणा।

18 दानाराम पुत्र मालाराम आयु 70 साल मृतक

18/1 केशरी देवी पत्नी दानाराम आयु 66 साल

18/2 सुगनाराम पुत्र दानाराम आयु 45 साल

18/3 माडूराम पुत्र दानाराम आयु 42 साल

18/4 सियाराम पुत्र दानाराम आयु 40 साल

18/5 मनोहरी पत्नी राजू सैनी पुत्र दानाराम आयु 88 साल निवासी हाल ढाणी खादरा तन गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

18/6 चिड़िया देवी पुत्री दानाराम पत्नी गिरधारीलाल निवासी हाल ढाणी खादरा तन गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

18/7 सुमन पुत्री दानाराम पत्नी हरिसिंह निवासी हाल ढाणी फिरासवाली की तन कांकरिया थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
18/8 सुनिता देवी पुत्री दानाराम पत्नी राजेश निवासी हाल ढाणी फिरासवाली की तन कांकरिया थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
19 प्रभाता पुत्र मालाराम आयु 65 साल
20 छोटूराम पुत्र मालाराम आयु 55 साल
21 धूड़ाराम पुत्र रामधन आयु 65 साल
22 ग्यारसीलाल पुत्र रामधन आयु 60 साल
23 सालगराम पुत्र फताराम आयु 70 साल जाति माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
24 बसन्ती लाल पुत्र बाबूलाल महाजन निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू इस पते पर वर्तमान में कोई व्यक्ति नहीं है।
25 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बबाई जरिये शाखा प्रबंधक
26 भूमि धारक जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.11.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बउनवानी मुकदमा कैलाशचन्द आदि बनाम कालूराम आदि मु.नं. 15/2015 दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री शिशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633 वाके ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य मनन नहीं किया ना ही अपने आदेश में कोई हवाला दिया, जबकि दावा वादीगण का कब्जे व हिस्से के अनुसार घोषणात्मक खातेदारी का था उस पर किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया, मात्र प्रतिवादी 24 के नाम से दर्ज प्रविष्टी पर ही बिना रिकार्ड देखे आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। आदेश निरस्त कर वादी का दावा डिकी किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 24 का नाम वर्तमान रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.60 हैक्टेयर में दर्ज है इसक लिए प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2012 खतौनी संख्या 107 में जागीरदार के रूप में विवरण में बसन्तीलाल पुत्र नानूलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है इससे साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 24 के नाम उक्त भूमि जागीर में रही है। ज्यों हि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आया उस समय जागीरदारी प्रथा और जागीरदारों के नाम भूमि हटा दी गई जिसका कब्जा काश्त था को दे दिये जाने के प्रावधान लागू कर दिये गये। इसलिए उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनूं)

24 का नाम गलत रूप से रिकार्ड चला आ रहा है। यदि इनका कोई वारिस उक्त भूमि पर काश्त करता, कब्जा होता तो उनके नाम भी इंतकाल में दर्ज होता इसलिए प्रतिवादी संख्या 24 का नाम राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 35 के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.60 हैक्टेयर में बसन्तीलाल पुत्र बाबूलाल जाति महाजन का नाम हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जमाबन्दी सम्वत 2014 में दर्ज कृषक के विवरण में बसन्तीलाल पुत्र बाबुलाल चौधरी बाक्स के नीचे लाईन खींचकर नीचे नाम सुरजा पुत्र किसना माली गत खसरा नम्बर 1031/701 रकबा 1 बीघा 6 बिश्वा दर्ज है। इससे भी जाहिर है कि सुरजा पुत्र किसना माली सम्वत 2014 में कृषक रहा है। जिनकी कब्जा काश्त रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2017 खतौनी संख्या 35 कृषक के विवरण में बसन्तीलाल पुत्र नानूलाल चौधरी सा. देह के नीचे बाक्स में लाईन खींचकर फत्ता हिस्सा 1/4, भूरा 2 आना, सेवा 1 आना, रघुनाथ 1/8, कान्हा 1/8, हरनाथ 1/8, रामधन 1/8 दर्ज है। इनके सामने ही कालम नम्बर 6, 7, 8 में गत खसरा नम्बर 1031/701 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बारानी सैकिण्उ दर्ज रिकार्ड है। इससे भी साफ जाहिर है कि बसन्तीलाल पुत्र नानूराम उक्त भूमि को काश्त करता तो बाक्स में उनके सामने लाईन नहीं होती उनके नाम के सामने गत खसरा नम्बर दर्ज होता ज्यों खैची गई लाईन वादीगण के पूर्वजो के सामने अकेले के नाम में दर्ज नहीं होता इससे भी साबित है कि प्रतिवादी 24 बसन्तीलाल नाम अस्पष्ट एवं गलत दर्ज चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 15 में भी प्रतिवादी संख्या 24 बसन्तीलाल नानूलाल जागीरदार के रूप में नाम दर्ज है। काश्त के कालम नम्बर 6 में वादीगण के पूर्वजो का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। ग्राम अशोक पटवार हल्का बबाई में स्थित हाल खाता संख्या 14 में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 630 रकबा 0.21 हैक्टेयर का अपीलान्ट/वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। खसरा नम्बर 631 रकबा 0.18 हैक्टेयर का अपीलान्ट/वादी संख्या 10 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 632 रकबा 0.31 हैक्टेयर का अपीलान्ट/वादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

6 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अन्य प्रविष्टियों का नाम रिकार्ड से हजफ किया जावें। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 7, 11 व 18 के स्थान पर उनके वारिसों कायम मुकामों के नाम दर्ज किया जावें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत 2012–15 (प्रदर्श–1), जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2012–15 (प्रदर्श–2), संवत 2014 (प्रदर्श–3 से 5), संवत 2017–20 (प्रदर्श–6 से 8), संवत 2021–24 (प्रदर्श–9 से 13), संवत 2025–28 (प्रदर्श– 14 से 20), संवत 2029–32 (प्रदर्श– 21 से 25), खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015 (प्रदश–26 से 27), संवत 2015–2018 (प्रदर्श–28, 29), संवत 2020–21 (प्रदर्श–30, 31), संवत् 2022–25 (प्रदर्श–32, 33), संवत् 2026–29 (प्रदर्श–34, 35), संवत् 2031–33 (प्रदर्श–36, 37), संवत् 2034–38 (प्रदर्श–38, 39), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–40 से 43), जमाबंदी संवत 2058–61 (प्रदश–43), संवत् 2057 (प्रदर्श–44), संवत् 2054–57 (प्रदर्श–45), संवत 2050–53 (प्रदर्श–46), संवत 2047–49 (प्रदर्श–47), संवत् 2043 (प्रदर्श– 48, 49), संवत 2058–61 (प्रदर्श–50), संवत् 2054–57 (प्रदर्श–51), संवत 2050–53 (प्रदर्श–52), संवत् 2046–49 (प्रदर्श–53) ग्राम बबाई, संवत् 2069–72 खाता संख्या 54 (प्रदर्श–54) खाता संख्या 35 (प्रदश–55), खाता संख्या 14 (प्रदर्श–56), खाता संख्या 13 (प्रदश–57) ग्राम अशोकनगर पेश किये गये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र कैलाशचन्द (पीडब्ल्यू–1) भी पेश किया गया। वादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि प्रतिवादी संख्या 24 के उक्त वादग्रस्त भूमि में गलत खातेदारी किस आधार पर आई और ना ही यह साबित कर पाये कि वादीगण को किस आधार पर प्रतिवादी संख्या 24 की खातेदारी दी जावें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत 2012–15 (प्रदर्श–1), जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2012–15 (प्रदर्श–2), संवत 2014 (प्रदर्श–3 से 5), संवत 2017–20 (प्रदर्श–6 से 8), संवत 2021–24 (प्रदर्श–9 से 13), संवत 2025–28 (प्रदर्श– 14 से 20), संवत 2029–32 (प्रदर्श– 21 से 25), खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015 (प्रदश–26 से 27), संवत 2015–2018 (प्रदर्श–28, 29), संवत 2020–21 (प्रदर्श–30, 31), संवत् 2022–25 (प्रदर्श–32, 33), संवत् 2026–29 (प्रदर्श–34, 35), संवत् 2031–33 (प्रदर्श–36, 37), संवत् 2034–38 (प्रदर्श–38, 39), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–40 से 43), जमाबंदी संवत 2058–61 (प्रदश–43), संवत् 2057 (प्रदर्श–44), संवत् 2054–57 (प्रदर्श–45), संवत 2050–53 (प्रदर्श–46), संवत 2047–49 (प्रदर्श–47), संवत् 2043 (प्रदर्श– 48, 49), संवत 2058–61 (प्रदर्श–50), संवत् 2054–57 (प्रदर्श–51), संवत 2050–53 (प्रदर्श–52), संवत् 2046–49 (प्रदर्श–53) ग्राम बबाई, संवत् 2069–72 खाता संख्या 54 (प्रदर्श–54) खाता संख्या 35 (प्रदश–55), खाता संख्या 14 (प्रदर्श–56), खाता संख्या 13 (प्रदश–57) ग्राम अशोकनगर पेश किये गये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र कैलाशचन्द (पीडब्ल्यू–1) भी पेश किया गया। वादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि प्रतिवादी संख्या 24 के उक्त वादग्रस्त भूमि में गलत खातेदारी किस आधार पर आई और ना ही यह साबित कर पाये कि वादीगण को किस आधार पर प्रतिवादी संख्या 24 की खातेदारी दी जावें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ सीकर ★ सत्यमेव जयते

इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)